निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 39/2024
दायरा दिनांकः–08.08.2024
निर्णय दिनांकः– 11.12-24

उनवान

राजेश कवंर आयु 43 वर्ष पुत्री तेजसिंह पत्नि शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा हाल निवास राजपूत कॉलोनी कंसुआ कोटा जिला कोटा (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 11.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भॅवरसिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 18 की खसरा संख्या 16/2 की रकबा 1.2645 है०, भूमि वाके माल खेरखेड़ानाथूराम तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत् कई वर्षों काबिज रहकर शांति पूर्वक्न काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के पिता तेजसिंह का फोती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से इन्तकाल में प्रार्थीया का नाम राजेश कवर के स्थान पर घर मे बोलता नाम राजबाई दर्ज हो गया था जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम राजेश कवंर है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर राजबाई के स्थान पर राजेश कवर किया जाना आवश्यक है। जा अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थीया का नाम राजेश कवर दर्ज है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का गलत राजबाई दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खात पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर त्रऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर, भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहती है परन्तु जो प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दुरस्तीकरण किय बिना संभव नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा नाथूराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 18 फोटो प्रति नकल आधार कार्ड फोटो प्रति पेन कार्ड फोटो प्रति जनआधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है प्रार्थी के पिता तेजसिंह का स्वर्गवास हो गया है प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से राजेश कंवर के स्थान पर बोलता नाम राज बाई दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का सही नाम राजेश कंवर है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में राजबाई के स्थान पर राजेश कंवर दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में राजेश कंवर दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित रहना पड रहा है प्रार्थीया का नाम राजबाई के स्थान पर राजेश कंवर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 18 में राजबाई पुत्री तेजसिंह हिस्सा 1/6 राजपूत सा0देह दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में राजेश कंवर दर्ज है प्रार्थीया के नाम की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार छबडा से मागवाई गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम खेरखेडा नाथूराम की जमाबन्दी खाता संख्या 18 में खातेदार राजबाई पुत्री तेजसिंह के नाम से दर्ज है ग्राम वासियान से खातेदार राजबाई के नाम की जानकारी की गई। उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा बताया कि राजबाई व राजेश कंवर पुत्री तेजसिंह जाति राजपूत सा0देह निवासी खेरखेडा नाथूराम में एक प्रार्थीया का नाम है प्रार्थीया को दोनो नामों से जाना जाता है प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में राजबाई नाम दर्ज है प्रार्थीया का सभी दस्तावेजों में राजेश कंवर है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा के खसरा नम्बर 16/2 रकबा 1.2645 है0 में प्रार्थीया का नाम राजबाई के स्थान पर राजेश कंवर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा